न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 104/10

मोहन पुत्र अमर लाल उर्फ इम्दा आयु 47 साल जाति नायक निवासी ग्राम मण्डोल तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मं0 नं0 615 श्रीनाथपुरम् सेक्टर बी, कोटा ।

———अपीलान

बनाम

1. मंगला पुत्र नन्द जाति नायक निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी (मृतक) कायममुकामान–
   1/1.रेखा पुत्री मंगला पत्नी शिवराज नायक निवासी, नैनवा रोड गेट नं0 08, गैस गोद के आगे बून्दी ।
   1/2. नन्दू पुत्री मंगला पत्नी भैरू लाल नायक निवासी, काल कटोरा, टोंक जिला टोंक।
   1/3. राणा पुत्र मंगला निवासी, पुरानी तहसील के पीछे लीडी तलाई, बून्दी ।
   1/4. गोरा पुत्री मंगला निवासी, मेहसाल के पीछे लीडी तलाई बून्दी ।
   1/5. हूमा पत्नी मंगला निवासी पुरानी तहसील के पीछे लीडी तलाई, बून्दी ।
2. सेवा पुत्र श्यामा उर्फ घनश्याम नाबालिग ।
3. पप्पू पुत्र श्यामा उर्फ घनश्याम नाबालिग ।
4. चन्द्रकांता पुत्री श्यामा उर्फ घनश्याम नाबालि जरिये वली माता भूली बाई बेवा श्यामा उ घनश्याम जाति नायक निवासी, ओडयो की टापरिया कनवास तहसील, सांगोद जि कोटा ।
5. बिसरी पुत्री श्याम उर्फ घनश्याम पत्नी चौथमल जाति नायक निवासी मण्डाना तहसी सांगोद जिला कोटा ।
6. भूली बाई बेवा श्यामा उर्फ घनश्याम जाति नायक निवासी, ओडयो की टापरिया कनव तहसील सांगोद जिला कोटा ।
7. मथरी पुत्री शंकर जाति नायक धिवा रामपाल नायब निवासी कराह की बरधा तहसी बून्दी :–
   7/1. लादू पुत्र स्व0 रामपाल निवासी गुरूनानक कोलोनी, कोटा ।
   7/2. छीतर लाल पुत्र स्व0 रामपाल निवासी ग्राम किराड का बरदा तहसील व जि बून्दी ।
   7/3. जाना पुत्री रामपाल पत्नी लटूर जाति नायक निवासी ग्राम आमेरा तहसील दी जिला कोटा ।
   7/4. प्रेम पुत्री रामपाल पत्नी स्व0 भंवरलाल निवासी भदाय मौहल्ला बून्दी ।
8. रामप्यारी बाई पत्नी भंवर लाल जाति बैरवा निवासी, बापू कोलोनी बालिता रोड कुन्ह कोटा ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पो

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 18.03.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 278 की रकबा 0.52 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पूर्व में गणेश, नन्दा, इमदा बेटे शंकर के नाम खाते में दर्ज थी । प्रार्थी के पारिवारिक सजरे के अनुसार मात्र प्रार्थी ही एक वारिस मौजूद है तथा प्रतिपक्षी कम 07 मथरी के पिता शंकर का देहावसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गया था व वो शादी होकर ग्राम कराड का बरधा तहसील बून्दी चली गई थी । उक्त भूमि सेटलमेंट के बाद गलत रूप से लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दा के नाम दर्ज कर दी गई व दूसरे सेटलमेंट के बाद अप्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 2 से 6 के पिता व पति श्यामा व रामा के नाम दर्ज कर दी गई जिनके दादा का नाम नन्दा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रार्थी के परिवार के सदस्य नहीं हैं । गणेश की पत्नी नातेशुदा से पैदा हुयी औलाद है जिनका वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है । अप्रार्थी कम 8 व अप्रार्थी कम 1 से 7 उक्त भूमि को बेचान, रहन एवं अन्य तरीके से अन्तरण व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे व प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2010 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2010 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली परउपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना व अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का

गलत रूप से नाम दर्ज किया गया है जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्टगण उक्त भूमि कं खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रेस्पोडेन्टगण ने खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतलुन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर पेश किये गये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पेश किये गये दस्तावेजात में फोटो प्रति शपथ पत्र एवं जागा की पोथी की फोटो प्रति पेश की है । जहॉ तक जागा की पौथी और जागा के शपथ पत्र की फोटो प्रति का प्रश्न है इन दस्तावेजों को मौखिक साक्ष्य एवं रेस्पोडेन्टगण को रिबटल में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है जो अपीलीय न्यायालय में संभव नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है । शंकर के पुत्र गणेश, नन्दा, अमरलाल एवं पुत्रियॉ गणेशी, गोपाली, मथुरी थीं जिसमें गणेशी, गोपाली पुत्रियॉ फौत हो चुकी हैं तथा नन्दा कुंवारा आलौलाद फौत हो चुका है तथा गणेश विक्षप्त था । उसकी पत्नी अन्य व्यक्ति के नाते चली गई थी । गणेश के कोई औलाद नहीं थी । जहॉ नाते गई वहॉ पति नन्दा से लक्ष्मण, नारायण, मंगला, रामा, श्याम पुत्र हुए जिनमें लक्ष्मण, नारायण व रामा लाऔलाद फौत हो चुके हैं । मंगला मौजूद है जो किसी अन्य जगह गोद जा चुका है तथा श्याम के रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 5 पुत्र पुत्रियॉ व बेवा वारिसान हैं । वादग्रस्त आराजी गणेश, नन्दा, इमदा बेटे शंकर के नाम खाते में दर्ज थी । अपीलान्ट एकमात्र वारिस मौजूद है तथा वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 07 मथुरी के पिता शंकर का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो चुका है तथा शादी होकर ग्राम कराड का बरधा तहसील बून्दी चली गयी थी तब से वह वहीं निवास कर रही है । वादग्रस्त आराजी गलत रूप से सेटलमेंट के बाद लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दा के नाम दर्ज कर दी गई व दूसरे सेटलमेंट के बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 से 6 के पिता व पति श्यामा व रामा के नाम दर्ज कर दी गई । जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वो अपीलान्ट के परिवार के सदस्य नहीं है ।

गनेश की पत्नी के नाते शुदा पति से पैदा हुए औलाद है जिनका विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है । समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । रेस्पोडेन्टगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी का बेचान करने पर आमादा हैं । अपीलान्ट ने जो परिवार का सजरा पेश किया है उसके अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं एवं उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.08.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा के संतुलन का कोई भी बिन्दु उनके पक्ष में नहीं पाया गया है । खातेदार एवं काबिज काश्त व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2010 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामा, मंगला, श्यामा पुत्रान नन्दा के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्द संवत् 2039 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 349/385 की 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दा के खाते में दर्ज है ।

12. अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी बाल जी के खाते से शंकर के खाते में आई है और शंकर के पुत्र अमर लाल का पुत्र होने के नाते उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी शंकर एवं उनके पिता अमर लाल के संयुक्त खाते में दर्ज हो । इस प्रकार अपीलान्ट प्रार्थी अपने पक्ष को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाए हैं । अपने कब्जे के समर्थन में भी उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2010 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा